तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./6446/2006/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम कल्याणदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-03-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित-** श्री वी0पी0 सिंह राजावत, राजकीय अधिवक्ता श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत रेफरेन्स धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 199/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 21-06-2006 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर ने विद्वान जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी स्थित ग्राम बाढभॉवता, तहसील गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर खसरा नम्बर 95 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2003 में गै0मु0 **नाला** अंकित रही है और उक्त वर्णित भूमि के नवीन खसरा नम्बर 53 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा कायम किए गए हैं । उक्त भूमि में से दिनांक 11-11-1973 को 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि कल्याणदास पुत्र वासुदास बाबाजी को नियमन कर अंकित की गई है। हाल बन्दोबस्त सम्वत् 2039 में नवीन खसरा नम्बर 182/0-07, 183/1-23 है0, खसरा नम्बर 53 से एकीकरण में कायम किये गये हैं और अप्रार्थीगण के नाम अंकित किए गए हैं। गै0मु0 नदी, नाले, झील, बॉध-तालाब, नाडी, जल प्रवाह, जल मग्न भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में भूमि की किस्म पूर्व अनुसार अंकित करने के निर्देश प्रदान किये है। विद्वान अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थीगण के अंकनों को निरस्त कर भूमि को पूर्व के अनुसार राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 नाला अंकित करने की राय के साथ हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है। उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./6446/2006/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम कल्याणदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नदी, नाले, झील, बॉध–तालाब, नाडी, जल प्रवाह, जल मग्न भूमि दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी को अविधिक रुप से किस्म परिवर्तित कर अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन कर खातेदारी में अंकित किया गया है। ये समस्त अंकन विधि विरुद्ध किये गये हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि किस्म गै0मु0 नदी–नाले की भूमि है और धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः विद्वान जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अभिशंषित रेफरेन्स प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है जिसे स्वीकार किया जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता का मुख्य रुप से यही कथन रहा है कि रेफरेन्स गलत रुप से मण्डल को अभिशंषित किया गया है। मौके पर प्रश्नगत भूमि कभी भी नाले के रुप में नहीं रही है। विधिक रुप से परीक्षण उपरान्त आवंटन किया गया है और अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त है। प्रकरण में धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और ना ही प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की परिधि में ही आता है, अतः रेफरेन्स खारिज किया जाये। हमने बहस पर मनन किया एवं अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2003 में सिवाय चक बिला लागनी किस्म गै0मु0 **नाला** अंकित रही है और भूमि एकीकरण विभाग के मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त खसरा नम्बर 95 से नवीन खसरा नम्बर 53 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा कायम किए गए हैं। उक्त भूमि में से दिनांक 11–11–1973 को 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि कल्याणदास पुत्र वासुदास बाबाजी को नियमन कर नामांतरकरण संख्या 28 से अंकित की गई है। हाल बन्दोबस्त सम्वत् 2039 में नवीन खसरा नम्बर 182/0–07, 183/1–23 है0, खसरा नम्बर 53 से एकीकरण में कायम किये गये हैं और वर्तमान राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा नम्बर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./6446/2006/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम कल्याणदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थी कल्याण दास पुत्र वासुदास की खातेदारी में अंकित किए गए हैं।राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन नाला'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
> (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 नाला–नाली की भूमि अंकित होने से गै0मु0 नदी–नाले की आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

> *All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.*

उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में विद्वान अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./6446/2006/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम कल्याणदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप विद्वान अति0 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 199/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 21–06–2006 से मण्डल को अभिशंषित किया गया हस्तगत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी नवीन खसरा नम्बर 182/0–07, 183/1–23 है0 वाके ग्राम बाढभॉवता, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर पर प्रार्थी के पक्ष में हो रहे अंकनों को निरस्त कर भूमि को पूर्व के अनुसार राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि किस्म **"गै0मु0 नाला"** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	